फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम–गुड़ामालानी

खंगानाराम	बनाम	अमियो

जीसीएमएस संख्या	2024/483	किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 2.12.24 को पेश हो।	
02/12/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें मय ट्रैक रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई अप्रार्थीगण अनुपस्थित। इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 20/12/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	
20/12/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 10.1.25 को पेश हो।	
10/1/25	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 17.1.25 को पेश हो।	
17/1/25	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौरान ए बहस वकील प्रार्थी द्वारा [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] किया कि मुतनाज्या [illegible] भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खसरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम–गुड़ामालानी

छगनाराम	बनाम	अन्य	
जीसीएमएस संख्या 2024/483		किस्म मुकदमा	2..

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज
	संख्या 303, ~~[illegible]~~ 266, 277, 277/2, 283 पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार हैं। उक्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त कब्जे-काश्त की आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज-काश्त हैं एवं प्रार्थीगण उक्त आराजी पर संयुक्त खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त संयुक्त आराजी में हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त आराजी का बिना विधिवत विभाजन करवाए मुतनाजा आराजी को बैचान करने एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब होते हैं, तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] आराजी के विभाजन हेतु [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] है। अतः उस मूल वाद के निस्तारण तक मुतनाजा आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर ~~[illegible]~~ पुष्ट की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

दलानाराम	बनाम	अमियो	
जीसीएमएस संख्या 2024/483		किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुक्म/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
	हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार हैं, जिसमें मुतनाजा आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। जिससे यह स्पष्ट है कि मामला प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखता है। अतः उक्त प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी ख० सं० 303, 266, 277, 277/2 एवं 283 मौजा मनरोणी भीलों की ढाणी पर रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध मुतनाजा आराजी पर मूल वाद के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] वाद के नत्थी हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested